



# म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. +91-755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : +91-755-2550498

## एनीमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इंट्रेंस टेस्ट (ADDET) - 2026

परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
भरने की प्रारम्भ तिथि : 05/06/2026	भरने की अंतिम तिथि : 19/06/2026
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 05/06/2026	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 24/06/2026
परीक्षा दिनांक व दिन	10/07/2026 शुक्रवार से प्रारम्भ
परीक्षा शुल्क	
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु. 400/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन एवं ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	रु. 200/-
ऑनलाईन आवेदन -क्रियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 60/- देय होगा। इसके अतिरिक्त रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा।	

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
10/07/2026 शुक्रवार से प्रारम्भ	प्रथम	प्रातः 07:00 - 08:00 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 - 02:00 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
- मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई.आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति / आधार नंबर / आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक यथा डिजिटल घड़ी मोबाइल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण MPESB द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।

म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल  
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011  
फोन नं. +91-755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : +91-755-2550498

**एनीमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इंट्रेंस टेस्ट (ADDET) - 2026**  
**विषय-सूची**

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.) के अंतर्गत एनीमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इंट्रेंस टेस्ट (ADDET) प्रवेश नियम	03-08
2.	2	म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली एवं निर्देश	09-25
3.	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	26-29

## अध्याय-1

### नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) एनीमल हस्बैंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इन्ट्रेस टेस्ट विनियम 2026

मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) एवं मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 32 सन् 2012) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा प्रदेश के एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा (स्ववित्तीय/निजी) एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा (निजी) पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नियम।

1. संक्षिप्त नाम :-

इन विनियमों का संक्षिप्त नाम एनीमल हस्बैंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इन्ट्रेस टेस्ट नियम 2026 है।

2. परिभाषाएं :-

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- 2.1 "अधिनियम" से अभिप्रेत है, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम (क्रमांक 16 सन् 2009) एवं संशोधित अधिनियम 2012 (क्रमांक 32 सन् 2012)
- 2.2 "प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा गठित विद्या परिषद्
- 2.3 "उपबंध" से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न उपबंध।
- 2.4 "सामान्य प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिडकी प्रणाली के माध्यम से एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा में गुणानुक्रम आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणानुक्रम के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा
- 2.5 "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी
- 2.6 "फीस" से अभिप्रेत है, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 एवं संशोधित अधिनियम 2012 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन गठित समिति द्वारा निर्धारित फीस
- 2.7 "संस्था प्रमुख" से अभिप्रेत है, जो महाविद्यालय/ एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा के प्रमुख
- 2.8 "अर्हकारी परीक्षा" से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन विनियमों में यथाविहित सुसंगत एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है।
- 2.9 "एकल खिडकी प्रणाली" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं।
- 2.10 "ईएसबी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल, मध्यप्रदेश।
- 2.11 उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

2.12 "उभयलिंगी" से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक सी-3-02/2022/3/1 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 के अनुसार परिभाषित उभयलिंगी होने का प्रमाण पत्र जैसा कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित है यदि प्रमाण पत्र में पुरुष का उल्लेख किया गया है तब पुरुष उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे और यदि महिला का उल्लेख किया गया है तब महिला उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

3. लागू होना:-

ये नियम नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा संचालित एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा (स्ववित्तीय/निजी) एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा (निजी) पाठ्यक्रमों हेतु अधिसूचित महाविद्यालयों को लागू होंगे।

4. प्रवेश नियम:-

सत्र 2026 -27 के लिए प्रवेश नियम-

समस्त एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा एवं डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

4.1 विभिन्न एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा (स्ववित्तीय/निजी) एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा (निजी) में प्रवेश हेतु संभावित संस्थावार स्थानों की संख्या निम्नानुसार होगी (तालिका 1) :-

तालिका -1

स.क्र.	एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय (स्ववित्तीय)	सीटों की संख्या
1	एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा, जबलपुर	100
2	एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा, महू	100
3	एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा, रीवा	100
4	एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा, भोपाल	100
5	एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा, मुरैना	100
कुल योग		500
<b>एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय (निजी)</b>		
1	मैना देवी मेमोरियल एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, झासी रोड, सिथोली, ग्वालियर	100
2	ओक्सफोर्ड इंटरनेशनल एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, हतोद रोड, इन्दौर	100
3	सेधंवा एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय सेधंवा, बडवानी	100
4	लाल बहादुर शास्त्री एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, हरदा	100
5	गुरुकृपा एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, बालाघाट	100
<b>डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय (निजी)</b>		
1	सुन्दर डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय, धोलखेडी, विदिशा	100

4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण-

प्रत्येक संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में से 16, 20, 27 एवं 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रवर्गों के क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (तालिका 2)।

**1- स्ववित्तीय एनीमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालयों में सीटों का श्रेणीवार आरक्षण**

**फ्री /पेमेंट सीटों का आवंटन एवं आरक्षण (स्ववित्तीय)**

महाविद्यालय का नाम	फ्री सीट/ पेमेंट सीट	अना.		एस.सी.		एस.टी.		अ.पि.व.		EWS		कुल सीटें
		X	F	X	F	X	F	X	F	X	F	
एनीमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, जबलपुर	फ्री सीट	15	7	9	4	11	5	15	6	6	2	80
	पेमेंट सीट	4	2	2	1	3	1	4	1	1	1	20
एनीमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, महु	फ्री सीट	15	7	9	4	11	5	15	6	6	2	80
	पेमेंट सीट	4	2	2	1	3	1	4	1	1	1	20
एनीमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, रीवा	फ्री सीट	16	6	9	3	11	5	15	7	5	3	80
	पेमेंट सीट	3	2	3	1	3	1	3	2	1	1	20
एनीमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, मुरैना	फ्री सीट	15	6	9	4	12	4	16	6	6	2	80
	पेमेंट सीट	4	1	2	1	3	1	4	2	2	0	20
एनीमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, भोपाल	फ्री सीट	15	6	9	4	11	5	15	7	5	3	80
	पेमेंट सीट	4	1	2	1	2	2	4	2	2	0	20
<b>Total</b>		<b>95</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>95</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>500</b>

**2- निजी एनीमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालयों में सीटों का आवंटन एवं आरक्षण \***

महाविद्यालय का नाम	फ्री सीट/ पेमेंट सीट	अना.		एस.सी.		एस.टी.		अ.पि.व.		EWS		कुल सीटें
		X	F	X	F	X	F	X	F	X	F	
मैना देवी मेमोरियल एनीमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, झासी रोड, सिथेली, ग्वालियर	फ्री सीट	15	7	8	4	11	5	15	7	6	2	80
	पेमेंट सीट	4	2	2	1	3	1	3	2	1	1	20
ओक्सफोर्ड इंटरनेशनल एनीमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय हतोद रोड, इन्दौर	फ्री सीट	15	7	8	4	11	5	15	7	6	2	80
	पेमेंट सीट	4	2	2	1	3	1	3	2	1	1	20
सेधवा एनीमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय निवाली सेधवा सेधवा, बडवानी, सेधवा	फ्री सीट	15	7	8	4	11	5	15	7	6	2	80
	पेमेंट सीट	4	2	2	1	3	1	3	2	1	1	20
लाल बहादुर शास्त्री एनीमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, हरदा	फ्री सीट	15	7	8	4	11	5	15	7	6	2	80
	पेमेंट सीट	4	2	2	1	3	1	3	2	1	1	20
गुरुकृपा एनीमल हस्बेंड्री कालेज डिप्लोमा महाविद्यालय हतोद रोड, कालेज ,बालाघाट	फ्री सीट	15	7	8	4	11	5	15	7	6	2	80
	पेमेंट सीट	4	2	2	1	3	1	3	2	1	1	20
<b>Total</b>		<b>95</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>500</b>

### 3- निजी डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय में सीटों का आवंटन एवं आरक्षण \*

महाविद्यालय का नाम	फ्री सीट/ पेमेंट सीट	अना.		एस.सी.		एस.टी.		अ.पि.व.		EWS		कुल सीटें
		X	F	X	F	X	F	X	F	X	F	
सुन्दर डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय, धोलखेडी, विदिशा	फ्री सीट	15	7	8	4	11	5	15	7	6	2	80
	पेमेंट सीट	4	2	2	1	3	1	3	2	1	1	20

(EWS = आर्थिक रूप से कमजोर)

टीप:- म.प्र. शासन द्वारा नवीन एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा /फिशरी डिप्लोमा/डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त होने पर एवं/अथवा निजी एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा /फिशरी डिप्लोमा /डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय खुलने पर उपरोक्त दर्शायी गई सीटों में बढोत्तरी हो सकती है।

\* सत्र 2026-27 में निजी एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालयों द्वारा समबद्धता नवीनीकरण के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा। समबद्धता नवीनीकरण नहीं करने की स्थिति में काउंसलिंग के समय संबंधित निजी महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

#### 4.3 आरक्षित स्थानों का परिवर्तन

आरक्षित स्थानों हेतु उपयुक्त उम्मीदवार न उपलब्ध होने की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति दूसरे संवर्ग से निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी-

- 4.3.1 अनुसूचित जन जाति संवर्ग का योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में आरक्षित स्थान के रिक्त स्थान की पूर्ति अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से की जावेगी।
- 4.3.2 अनुसूचित जाति संवर्ग का योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थान की पूर्ति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से की जा सकेगी।
- 4.3.3 अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों हेतु उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग के उपयुक्त उम्मीदवारों से की जा सकेगी।
- 4.3.4 उपरोक्तान्कित तीनों आरक्षित संवर्ग के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थानों को अनारक्षित संवर्ग में परिवर्तित करते हुए अनारक्षित संवर्ग के उपयुक्त उम्मीदवारों से पूर्ति की जा सकेगी।
- 4.3.5 आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के आरक्षित स्थानों हेतु उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थानों को अनारक्षित संवर्ग में परिवर्तित करते हुए अनारक्षित संवर्ग के उपयुक्त उम्मीदवारों से पूर्ति की जा सकेगी।
- 4.3.6 सभी वर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें ना मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी
- 4.3.7 आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग हेतु 10 प्रतिशत सीटे आरक्षित रहेगी, जिसमें प्रवेश मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार किया जावेगा।
- 4.3.8 आवेदक को उसकी श्रेणी के अंतर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ होगा।
- 4.4 प्रवेश के लिए पात्रता -  
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किए गए अनुसार।

#### 4.4.1 शैक्षणिक अर्हता:-

अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 पद्धति से 12 वी कक्षा की परीक्षा या केन्द्रीय सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डल की 12 वी की समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषय (जीव विज्ञान/गणित/कृषि) की 12वीं परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत अंकों की शिथिलता दी जायेगी।

इस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं, जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश की 10+2 पद्धति की 12 वी कक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। किन्तु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हताकारी 10+2 पद्धति की 12 वी कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर अंक सूची प्रस्तुत करेंगे।

#### 4.4.2 प्रवेश हेतु आयु सीमा

अभ्यर्थी की आयु सीमा 31 दिसम्बर, 2026 की स्थिति में न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना अनिवार्य है।

4.4.3 फ्री सीटों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है परंतु पेमेंट सीटों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी।

#### 4.4.4. पेमेंट सीटों में प्रवेश:-

डिप्लोमा महाविद्यालयों में 20 प्रतिशत सीटें पेमेंट सीट होगी। पेमेंट सीट में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी। आरक्षित वर्ग के सीटों में प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जावेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को केवल अनारक्षित वर्ग के सीटों में ही प्रवेश के पात्र होंगे। काउंसलिंग के समय पेमेंट सीट में प्रवेश हेतु विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.ndvsu.org](http://www.ndvsu.org) देखें।

4.4.6 दिव्यांग प्रत्याशी जो निम्नलिखित शारीरिक विकलांगताओं से ग्रस्त है, उन्हें डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा-

- (1) समूची देह की निःशक्तता, जिसमें वक्ष/रीढ़ की 50 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता शामिल हो,
- (2) पैरों में 50 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता,
- (3) हाथों में निःशक्तता,
- (4) नेत्रहीन उम्मीदवार और वे उम्मीदवार जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर है,
- (5) प्रगामी रोगों, जैसे पेशीविकृति, इत्यादि से ग्रस्त उम्मीदवार,
- (6) ऐसी विकलांगताएं जिनसे पशु पालन पात्रोपाधि धारक के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा आती हो,

विकलांगता को विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित कराना होगा, जिसमें कम-से-कम तीन विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए और जिनमें से दो संबंधित विकलांगता विशेषज्ञ होने चाहिए। उम्मीदवार को स्वयं मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। विकलांग उम्मीदवार का मेडिकल बोर्ड से मिलने वाला अंतिम वैध विकलांगता प्रमाण पत्र विकलांग उम्मीदवार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से कम-से-कम तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

#### 4.5 प्रवेश की रीति :-

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा तथा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा।

#### 4.6 प्रवेश की प्रक्रिया :-

4.6.1 समस्त एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा एवं डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल मध्यप्रदेश के माध्यम से संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रम स्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यता क्रम से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से दिया जाएगा।

4.6.2 ऐसे समस्त प्रवेश, विश्वविद्यालय की केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) समिति के माध्यम से दिए जाएंगे।

4.6.3 विश्वविद्यालय काउन्सलिंग हेतु विज्ञापन जारी करेगा और प्रवेश के लिए पृथक रूप से या व्यक्तिशः आवेदन नहीं मंगाएगा। तत्संबंध में विश्वविद्यालय निहित प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आनलाईन/स्पॉट काउंसलिंग की जानकारी एवं नियम हेतु निरंतर विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.ndvsu.org](http://www.ndvsu.org) देखते रहें।

4.6.4 यदि कोई अभ्यर्थी परामर्श (काउन्सलिंग) हेतु स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है या निहित प्रारूप में सुसंगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह स्थान तथा संस्था में चयन का अपना दावा खो देगा/ देगी।

4.6.5 यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण ऑनलाइन काउन्सलिंग हेतु दस्तावेज सत्यापन/स्पॉट काउंसलिंग की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किये चिकित्सा प्रमाणपत्र फोटो के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें। यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।

4.6.6 कोई अभ्यर्थी परामर्श (काउन्सलिंग) के दिन किसी संस्था में एक बार प्रवेश ले लेता है, तो उसे परामर्श (काउन्सलिंग) के उसी चरण में परिवर्तन किए जाने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 4.6.7 यदि परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से किसी विशिष्ट संस्था में अभ्यर्थी ने एक बार प्रवेश ले लिया है, तो संस्था के अंतरण हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- 4.6.8 सफल अभ्यर्थियों को परामर्श (काउन्सलिंग) के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस जमा करना होगी। फीस, आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय अवधि तक जमा करनी होगी।
- 4.6.9 जिन अभ्यर्थियों ने पेमेंट सीट के विकल्प का चुनाव किया है वे केवल पेमेंट सीट पर ही प्रवेश के लिये पात्र होंगे।
- 4.7 **प्रवेश का रद्द किया जाना :-**
- 4.7.1 यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किया जायेगा।
- 4.7.2 परामर्श (काउन्सलिंग) के उपरान्त योग्य अभ्यर्थियों को आवंटित एनीमल हस्बैंड्री डिप्लोमा एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा में प्रवेश हेतु आवश्यक रूप से फीस जमा करनी होगी। निर्धारित दिनांक तक फीस जमा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
5. शिक्षण तथा अन्य फीस:- शिक्षण तथा अन्य फीस का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा काउन्सलिंग तिथि के समय घोषित किया जावेगा।

**कुल शुल्क:-**

स.क्र	वर्ष	कुल शुल्क (रूपये में)	
		फ्री सीट	पेमेंट सीट
1	प्रथम वर्ष प्रथम छःमाही	55640/-	75640/-
2	प्रथम वर्ष द्वितीय छःमाही	45750/-	65750/-
3	द्वितीय वर्ष प्रथम छःमाही	45750/-	65750/-
4	द्वितीय वर्ष द्वितीय छःमाही	45750/-	65750/-

टीप:- विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त शुल्कों में परिवर्तन हो सकता है।

छात्रवृत्ति - स्ववित्तीय/निजी पाठ्यक्रमों हेतु शासन द्वारा नियमानुसार दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधायें ही लागू होंगी।

6. नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरण:-  
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय किसी भी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. अधिकारिता :-  
किसी भी न्यायलयीन विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर तक ही सीमित रहेगा।

कुलसचिव

ना.दे.प.चि.वि.वि, जबलपुर

## अध्याय-2

### म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

#### खण्ड-अ

- 2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iii) सीट्स की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- (iv) अभ्यर्थी के परीक्षा केन्द्र/तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे
- 2.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें काउसलिंग की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन/प्रवेश के समय संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा।
- (iv) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (v) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

#### 2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।

- 2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, sun glasses Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

**2.5** लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-  
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी / प-1 / 712 / 2020 भोपाल दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी | किन्तु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी | सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित MPESB कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि MPESB स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। आपरिह्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी |

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए | उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकण्ड्री होना चाहिए |

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

## 2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र MPESB की वेबसाइट [www.esb.mp.gov.in](http://www.esb.mp.gov.in) से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

## 2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) ई.एस.बी. की वेबसाइट [www.esb.mp.gov.in](http://www.esb.mp.gov.in) पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

## 2.8 मूल्यांकन पद्धति:-

- प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा एवं गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्त अंक में से प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक घटाए जायेंगे।
- वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा के अंत में अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की अंकित संख्या Raw Score के रूप में प्रदर्शित करने का प्रावधान है। परीक्षा की पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। जिसमें Raw Score (सही प्रश्नों की संख्या) प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा अंकित Raw Score (सही प्रश्नों की संख्या) एवं प्रदर्शित Raw Score के सामान होने पर सबमिट किया जा सकेगा।

## 2.9 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है।

A. निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- प्रश्न की संरचना गलत हो।
- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- कोई भी विकल्प सही न हो।

- (iv) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (v) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- B. हिन्दी तथा अंग्रेज़ी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिंदी पाठ को मानक माना जाएगा | सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्नपत्र, जहाँ पर अंग्रेज़ी पाठ को मानक माना जाएगा) |
- C. प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में ई.एस.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।
- D. आपत्तियुक्त प्रश्नों के निराकरण हेतु मंडल द्वारा प्रदाय विकल्प को कुंजी समिति विषय विशेषज्ञों द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

**उदाहरण 01** :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

**उदाहरण 02** :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

**उदाहरण 03** :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

**नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।**

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार )

## 2.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. ईएसबी/29/16/2021/ई-1/1040/2025, दिनांक 13/02/2025 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

- ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता है अथवा ऐसे पद/पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न-पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं।
- ऐसी परीक्षाएँ जिनका आयोजन बहुचरण में जैसे कि Police Constable Recruitment Test में प्रथम चरण में ई.एस.बी. द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने हेतु मंडल के आदेश क्र. 11-80/2013/08/पी-2/625/2025, दिनांक 24/01/2025 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार Normalised Equi-Percentile (NEP) scaling technique एवं निम्न सूत्रों से परीक्षा परिणाम तैयार किये जायेंगे :-

- (a) एक चरणीय (Single-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

$$P_{ij} = \frac{\text{No. of candidates in shift (j) having proportionate scores} \leq X_{ij}}{N_j} \times 100$$

- **shifts** be denoted as  $S_1, S_2, \dots, S_k$ .
- number of **candidates** appearing in each shift be denoted by  $N_1, N_2, \dots, N_k$
- $X_{ij}$  be the **actual/proportionate marks** of candidate (i) in shift (j), where, i can vary from 1 to  $N_j$  and j can vary from 1 to K.
- $P_{ij}$  be the **percentile score** of candidate  $X_{ij}$ , where, i can vary from 1 to  $N_j$  and j can vary from 1 to K.

एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं या एक पॉली में एक से अधिक विषय हेतु Percentile score को एकजाई कर परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट बनाया जा सकेगा।

- (b) बहु चरणीय (Multi-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

A.1 In cases where MP-ESB conducts examinations in 2 phases/stages, where the first is through the competitive examination followed by a Physical or Personal Interview/Examination, it is not appropriate to add the proportionate score or the percentile score of the first phase with the scores received in the second phase/ stage. In this scenario, MP-ESB will adopt the following methodology.

**A.2 Step 1:** Compute the percentile score  $P_{ij}$  of the proportionate score obtained by the candidates as described at (a) above.

**A.3 Step 2:** Compute the equivalent z-value for the percentile score using the Standard Normal Distribution

$$Z_{ij} = \text{ROUND}(\text{NORMSINV}\left(\frac{P_{ij}}{100} - 0.005\right), 6)$$

where,

- $Z_{ij}$  = Z -value score of ith candidate & jth shift

**A.4 Step 3:** Compute the corresponding T-score value for each candidate using the following formula:

$$T_{ij}=AM + ASD \times (Z_{ij})$$

where,  $T_{ij}$  = T-score of ith candidate & jth shift where,

AM = Assumed Mean = (Maximum Marks of the paper)/2

ASD = Assumed Standard Deviation = (Maximum Marks)/10

**A.5 Step 4:** Compute the Final Score Obtained for each candidate by adding the T-score ( $T_{ij}$ ) with the score obtained in the Physical/Personal test and the Final Score so obtained may be used for preparing the Merit List and inter-se position.

- For tie-breaking situations, at the first level, will be based on the proportionate marks obtained by the candidate in the examination, followed by the existing practise of MP-ESB.
- The proportionate score, percentile score, Z-value & T-score will be computed by rounding off to six places of decimal for single stage & multistage examination. The qualifying marks for any category (UR, SC/ST/OBC, PwD etc) will be based on Proportionate Scores obtained by candidate.

उपरोक्त सूत्रों के अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट तैयार किये जायेंगे।

## 2.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु मंडल वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है | लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाइन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी | उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी | अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी | एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा, अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी | प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि रूपये 150/- (एक सौ पचास) + अन्य चार्ज/शुल्क देय होगा| मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा |
- (ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अ अनुसार MPESB द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

## 2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा / Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना व उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मंडल द्वारा किये गए डेटा विश्लेषण में असामान्यता परिलक्षित होती है तो सम्बंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध यू.एफ.एम./वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मंडल स्वतंत्र होगा।
11. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।
12. परीक्षा उपरांत, परीक्षा सम्बन्धी Data का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आवेदकों की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को UFM श्रेणी में मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के

अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व काउंसलिंग के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर MPESB को अवगत कराया जायेगा।

MPESB द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

## 2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर MPESB द्वारा अभ्यर्थियों की एकजाई श्रेणीवार प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (ii) संबंधित विभाग की अनुशंसा उपरांत परीक्षा परिणाम म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की वेबसाईट [www.esb.mp.gov.in](http://www.esb.mp.gov.in) पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iii) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी MPESB की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी।

## 2.13 परीक्षा परिणाम :-

- (i) अभ्यर्थियों का परिणाम MPESB की वेबसाईट [www.esb.mp.gov.in](http://www.esb.mp.gov.in) पर अपलोड किया जायेगा। परीक्षा परिणाम के अंकों की सभी गणना दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी तथा किसी भी स्थिति में अंकों को राउंडऑफ कर नहीं जोड़ा जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

## 2.14 म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार MPESB का होगा।
- (ii) MPESB अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं MPESB द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख MPESB द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

## 2.15 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

## खण्ड-ब

### 2.16 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iv) ई.डब्लू.एस. श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (v) दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

### 2.17 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (iv) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो - हस्ताक्षर - हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

## 2.18 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्क धारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

## 2.19 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक / आधार VID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से
  1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
  2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू में MPESB द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

## 2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैंकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

## 2.21 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

- (अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) आवेदक स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा वेबसाईट [www.esb.mponline.gov.in](http://www.esb.mponline.gov.in) के माध्यम से

- (i) परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।
- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंक के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

**2.22 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-**

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

## 2.23 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

## 2.24

आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

## 2.25 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे

अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

- (vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये MPESB द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

## 2.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण MPESB स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में MPESB द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.28 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

## 2.29 पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन

म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात् पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये MPESB द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

2.30 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत MPESB की E-mail ID [complain.esb@mp.gov.in](mailto:complain.esb@mp.gov.in) पर भेज सकते हैं।

## खण्ड-स

### 2.31 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
05/06/2026	19/06/2026	15	05/06/2026	24/06/2026	20

### 2.32 आनलाईन परीक्षा का विवरण

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
10/07/2026 शुक्रवार से प्रारम्भ	प्रथम	प्रातः 07:00- 08:00 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00- 02:00 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

### 2.33 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं ई.डब्ल्यू.एस. के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशुल्कजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
01.	एक	400/-	200/-	200/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरने पर 20/-

### (ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

### 2.34 परीक्षा शहर :-

आवेदकों को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त सम्बन्ध में पी ई बी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। अतः परीक्षा केंद्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा शहरों/केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. उज्जैन
5. सतना	6. सागर	7. रतलाम	8. नीमच
9. सीधी	10. खण्डवा	11. रीवा	

## खण्ड-द

### ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

#### 2.35

- (i) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (vi) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- (vii) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।
- (viii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (ix) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई.आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।
- (x) आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा की नियमपुस्तिका का भली-भांति अवलोकन/अध्ययन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि आप संबंधित परीक्षा की नियमपुस्तिका में उल्लेखित सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं, तत्पश्चात ही आवेदन पत्र भरें।
- (xi) यह आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वह अपना आवेदन पूरी तरह सावधानी के साथ भरें। आवेदन-पत्र में अन्य प्रविष्टियों में त्रुटि होने पर नियमपुस्तिका में उल्लेखित प्रावधान/प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार निर्धारित समयावधि में संभव होगा। त्रुटि/प्रविष्टि में परिवर्तन/सुधार मंडल स्तर पर संभव नहीं है। इस संबंध में मंडल कार्यालय में प्राप्त आवेदन अमान्य किये जाते हैं तथा इन्हें नस्तीबद्ध करते हुए प्रतिउत्तर नहीं दिया जाता है।
- (xii) कतिपय अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) में त्रुटि परिलक्षित होने पर परिवर्तन/संशोधन हेतु आवेदन करते हैं, जबकि यह त्रुटि उनके द्वारा आवेदन पत्र भरने में की गई त्रुटि एवं समय-सीमा में सुधार न करने का परिणाम होती है, अतः इस संबंध में कोई भी आवेदन/पत्राचार तत्समय मंडल द्वारा मान्य किया जाना संभव नहीं होता है।
- (xiii) समूह परीक्षाओं में कतिपय स्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं, जिसमें अलग-अलग पदों/प्रश्न पत्र होने पर पृथक-पृथक प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) जारी किए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न-पत्र हेतु अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) लेकर जाना आवश्यक होगा।
- (xiv) किसी भी तकनीकी त्रुटि होने के कारण परीक्षा प्रारंभ होने में विलंब होने की स्थिति में भी सभी अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र हल करने हेतु निर्धारित समयावधि उपलब्ध कराई जाती है, अतः ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को बिना किसी चिंता के परीक्षा संचालन में पूर्ण सहयोग करना चाहिए।

- (xv) मंडल का कार्यक्षेत्र केवल विभाग की मांग पर परीक्षा का आयोजन कर परीक्षा परिणाम संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने तक सीमित है। नियुक्ति संबंधी कार्यवाही का संपूर्ण दायित्व संबंधित विभाग का है।
- (xvi) उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि मंडल द्वारा विभागों के मांग-पत्रों के आधार पर प्रवेश, पात्रता, चयन एवं भर्ती परीक्षाएँ पूर्ण पारदर्शी एवं उत्कृष्ट तकनीकी मापदंडों के अनुरूप आयोजित की जाती है, जिनकी यथासंभव सुरक्षा एवं शुचिता सुनिश्चित की जाती है। अतः इस संबंध में अगर किसी के द्वारा अवांछित लाभ उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, तो अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह इसकी सूचना समस्त जानकारियों सहित तत्काल मंडल कार्यालय को प्रदान करें। परीक्षा से संबंधित अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित होने/सहयोग प्रदान करने/तथ्य छुपाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।

### अध्याय - 3

## SYLLABUS FOR ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRY TECHNOLOGY DIPLOMA ENTRANCE TEST (ADDET) – 2026

### पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

#### (A) Physics

Unit and dimensions, dimensional analysis, S.I. Units, Motion in two dimensions  
Cases of uniform velocity and uniform acceleration, General relation between  
position and velocity, Uniform circular motion, Force and inertia Newton's Laws of  
motion Conservation of momentum and energy. Static and kinetic friction. Work  
energy and power collisions, potential energy, gravitational potential energy and its  
angular conversion to kinetic energy. Potential energy of a spring, Rigid Body rotation  
and conservation of its momentum. Moment of inertia, theorems of Parallel and  
perpendicular axis. (Moment of inertia of uniform rings, disc, thin rod and cylinder  
only).

Acceleration due to gravity and its variation, Universal law of gravitation,  
geostationary satellites, escape velocity.

Hooke's law, Young's modular shear and bulk modulus, surface energy and surface tension,  
kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature. Specific heats at constant  
volume and constant pressure, mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes.

Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's Law and  
Newton's law of cooling, Periodic motion, simple harmonic motion, Oscillations due  
to spring, Wave motion, principle of superposition; Progressive and stationary waves,  
Beats and Doppler effect.

Wave nature of light, Interference, Young's double slit Experiment, Velocity of light and  
Doppler's effect in light. Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, Lenses,  
mirror and lens formulae. Dispersion in prism, absorption and emission spectra.

The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and  
microscope " $e$ " and " $e/m$ " for an electron, Einstein's photoelectric equation,  
photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, Composition of nucleus, atomic masses  
and isotopes, radioactivity, laws of radioactive decay, decay constant, half life and mean life,.

Mass-energy relation, fission. X-Ray: Properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi-conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semi conductors, pn Junction as a rectifier.

Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration magnetometer.

Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Gauss's law in a simple geometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacitors, capacitors in series and parallel, energy of a capacitor.

Electric current, Ohm's law, Kirchhoff's laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance. Wheatstone bridge, potentiometer. Measurement of voltages and currents.

Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis, thermoelectricity. Biot Savart law.

Magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), Magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents, moving coil, galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced emf, Faraday's law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating currents, impedance and reactance growth and decay of current in L-R circuit, elementary idea of dynamo and transformer.

## **(B) Chemistry**

### **General and Physical Chemistry**

Structure of Atom : Constitution of nucleus : Bohr's atom model : quantum numbers

Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto-Kr) : de-Broglie relation, shapes of orbitals.

Chemical Bond : Electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridization (sp) :

hydrogen bond: shapes of molecules (VSEPR theory) : bond polarity, resonance,

Elements of VBT MOT.

Solutions: Modes of expressing concentrations of solutions: Types of solutions,

Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights.

Solid State: Crystal lattices, unit cells, Structure of ionic compounds: close packed

structure ionic radii, imperfections (Point defects): Properties of solids.

Nuclear Chemistry: Radioactive radiations: half-life, radioactive decay, group displacement structure and properties of nucleus: Nuclear reaction, disintegration series, artificial transmutation: isotopes and their uses, Radio carbon dating.

Chemical Equilibrium: Chemical equilibrium, Law of mass action:  $K_P$  and  $K_C$ : Le Chatelier principle and its application.

Ionic Equilibria in solutions, Solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: pH : buffers.

Thermochemistry and Thermodynamics: Energy changes during a chemical reaction: intrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law, Heats of reactions: Second law of thermodynamics: entropy: free energy; spontaneity of a chemical reaction; free energy change and chemical equilibrium; free energy as energy available for useful work.

Chemical kinetics, Rate of a reaction, factors affecting the rate, rate constant, rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenous equation.

Electrochemistry: Oxidation, Oxidation number and ion-electron methods.

Electrolytic conduction. Faraday's laws; voltaic cell, electrode potentials, electromotive force, Gibb's energy and cell potentials. Nernst equation, commercial cells, fuel cell, electrochemical theory of corrosion.

Surface chemistry, Colloids and Catalysis; Adsorption, Colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, Catalysis: Types and characteristics.

### **Inorganic Chemistry:**

Principles of metallurgical-operations : Furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties.

Chemical periodicity : s, p, d and f-block elements, periodic Table: periodicity : atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electronegativity, metallic character.

Comparative study of elements: Comparative study of the following families of elements: (i) alkali metals (ii) Alkaline earth metals (iii) Nitrogen family (iv) Oxygen family (v) Halogens (vi) Noble gases.

Transition metals: Electronic configuration of 3d-metal ions, oxidation states, other general characteristic properties, Potassium permanganate, Potassium dichromate.

Co-ordination compounds: Simple nomenclature, bonding and stability,

Classification and bonding in organometallics.

Chemical analysis: Chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis:

calculations based on acid-base titrimetry.

### **Organic Chemistry :**

Calculation of empirical and molecular formula of organic compounds, Nomenclature of organic compounds common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes and benzene.

Preparation properties and uses of alkynes, alkyl, benzene, petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, Physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of haloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: General ideas of some polyhalogen compounds viz., dichloroethanes, dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride D.D.T., benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, Chemical properties, correlations of physical properties with structure and uses of ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives.

Brief account of the chemistry of cyanides, isocyanides, amines and nitrogen compounds.

Polymers: Classification: Preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Biomolecules: Classification, Structure and biological importance of carbohydrates, amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

### **C. GENERAL STUDIES (20 Question)**

1. General Science and Environment
2. Geography, History, Sport and Culture of M.P.
3. Information and Communication Technology

Note:- Up to the level of 11<sup>th</sup> & 12<sup>th</sup>